

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/ 9323

जयपुर, दिनांक: 11.12.2014

जिला निर्वाचन अधिकारी

कलक्टर (पंचायत)

बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर एवं राजसमन्द।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – निर्वाचक नामावलियों के संबंध में।

संदर्भ:- आयोग के पत्रांक 8930 दिनांक 27.11.2014

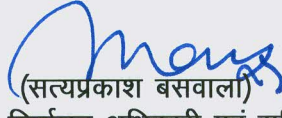
महोदय,

आयोग के उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियों के प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद) के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र) पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन को अंतिम एवं अधिसूचित करने के संबंध में राज्य सरकार (पंचायती राज विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5.11.2014 पर आदेश दिनांक 20.11.2014 द्वारा स्थगन दिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकल पीठ ने अपने आदेश दिनांक 5.12.2014 द्वारा प्रकरण खण्ड पीठ को अंतरित कर दिया गया, आयोग के अधिवक्ता श्री विकास बालिया ने आज दिनांक 11.12.2014 को सायं 5.00 बजे दूरभाष पर यह अवगत कराया है कि माननीय खण्ड पीठ ने एकल पीठ द्वारा दिये गये स्थगन को वेकट कर दिया है। अतः जिन पंचायतों/पंचायत समितियों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन संदर्भित आदेश के अनुसार नहीं किया जा सका था, उन पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचन नामावलियों को, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 5.11.2014 के अनुसार, तैयार कर प्रारूप प्रकाशन हेतु संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है –

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	13 दिसम्बर, 2014 (शनिवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्डों/मतदान केन्द्रों पर पठन	13 व 14 दिसम्बर, 2014
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	22 दिसम्बर, 2014 (सोमवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	14, 20 एवं 21 दिसम्बर, 2014
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	26 दिसम्बर, 2014 तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	28 दिसम्बर, 2014 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	30 दिसम्बर, 2014 को

उक्त मतदाता सूचियाँ अर्हता दिनांक 1.1.2014 के अनुसार तैयार की जानी है।


(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक: 11/12/14

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014/ 9324-31
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राजस्थान।
4. आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव/सहायक, सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
8. कम्प्यूटर शाखा को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने तथा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने हेतु।


(अशोक कुमार जैन) 2014
उप सचिव